

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F: 26(4)(46)convergnes/IEC/ICDS/2014/ 40942-974 जयपुर, दिनांक : 13-3-18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त (राजस्थान)


विषय: दिनांक 13.03.2018 को दोपहर 03.00 से 04.00 बजे तक सेनेटरी नेपकिन वितरण योजना की विडियों कॉन्फ्रस (वी.सी.) में उपस्थित होने बाबत।

सन्दर्भ:—निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्रांक 332 दिनांक 07.03.2018

उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम लेख है कि दिनांक 13.03.2018 को दोपहर 03.00 से 4.00 बजे तक सेनेटरी नेपकिन वितरण योजना की विडियों कॉन्फ्रस (वी.सी.) आयोजित की जा रही है। संदर्भित संलग्न पत्र के एजेण्डानुसार बिन्दुओं पर चर्चा की जानी है।

अतः आप निर्धारित जिला मुख्यालय पर वी.सी. कक्ष में भाग लेना सुनिश्चित करावें।


संलग्न:—उपरोक्तानुसार।


अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F: 26(4)(46)convergnes/IEC/ICDS/2014/ 40975-77 जयपुर, दिनांक : 13-3-18

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर
3. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


सहायक निदेशक (आईसीसी)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवायें,

2, जलपथ गाँधी नगर,

जयपुर, राज0।

विषय:- समस्त उपनिदेशक (I.C.D.S.) महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 13.03.2018 को सांय 3.00 से 4.00 बजे तक सेनेटरी नेपकिन वितरण योजना की विडियों कॉन्फ्रेस में भागीदारी सुनिश्चित करवाने बाबत।

संदर्भ:- निदेशालय के नोटिस क्रमांक: 323 दिनांक 07.03.2018।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित नोटिस (प्रति संलग्न) द्वारा निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरण योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रबंध निदेशक आरएमएससी, की अध्यक्षता में एक विडियों कॉन्फ्रेस का आयोजन दिनांक 13.03.2018 को सांय 3.00 से 4.00 बजे किया जाना है, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जानी है:-

1. विद्यालय जाने वाली (कक्षा 6-12) एवं विद्यालय नहीं जाने वाली (10-19 वर्ष) किशोरी बालिकाओं को सेनेटरी नेपकिन का वितरण हेतु संबंधित जिले के नोडल अधिकारी शिक्षा विभाग, नोडल अधिकारी चिकित्सा विभाग, एवं उपनिदेशक (I.C.D.S.) महिला एवं बाल विकास विभाग में आपसी समन्वय स्थापित करना।
2. योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग।
3. योजना की समयबध रिपोर्टिंग।
4. जिला नोडल अधिकारियों (शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा विभाग) तथा उपनिदेशक (I.C.D.S.) महिला एवं बाल विकास विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करना।
5. निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन वितरण योजना में आ रही अन्य बाधाओं के निस्तारण हेतु।

अतः निवेदन है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में नियुक्त उपनिदेशक (I.C.D.S.) को दिनांक 13.03.2018 को सांय 3.00 से 4.00 बजे तक विडियों कॉन्फ्रेस में भागीदारी सुनिश्चित करवाने हेतु आप अपने स्तर से निर्देशित करने का श्रम करावें।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक

क्रमांक : निदे/मु.नि.द.यो/ 2018/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएमएससी मुख्यालय जयपुर।


निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर